रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 18] नई दिल्ली, सितम्बर 13—सितम्बर 19, 2015, शनिवार/भाद्र 22—भाद्र 28, 1937

No. 18] NEW DELHI, SEPTEMBER 13—SEPTEMBER 19, 2015, SATURDAY/ BHADRA 22—BHADRA 28, 1937

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed asA separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश

Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2015

का.नि.आ. 34.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा लेखा विभाग (सहायक लेखा अधिकारी), भर्ती नियम, 1989, तथा रक्षा लेखा विभाग (अनुभाग अधिकारी(लेखा), भर्ती नियम, 2008, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा लेखा विभाग, सहायक लेखा अधिकारी, भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना**- यह नियम, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2015

का.नि.आ. 35.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) में समूह 'ग' (अनौद्योगिक) पदों पर भर्ती की पद्धती का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना), समूह 'ग' (अस्तबल कर्मचारिवृन्द) पद भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना** : ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान** – पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति आयु-सीमा, अर्हताएँ आदि** – भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उनसे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता** – वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति** – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों कि बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति** – इन नियमों कि कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जतियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान।	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. मेट ग्रूम	7* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, रु. 5200-20200 + ग्रेड वेतन रु. 1900.	अचयन	आयु 18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक जा सकती है।) **टिप्पण:**- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई	**आवश्यक :** किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण। **वांछनीय :** ग्रूम या मेट ग्रूम के रूप में एक वर्ष का अनुभव।

2

					अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमन और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	**प्रोन्नति :-** ऐसे ग्रूम जिसने उस श्रेणी मैं तीन वर्ष नियमित सेवा की है । **टिप्पण 1** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमे से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी	समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि और प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. कमांडर पंक्ति का अधिकारी या संबंधित कमांड मुख्यालय के समतुल्य पंक्ति के सिविलियन अधिकारी -अध्यक्ष 2. लेफ्टीनेंट कमांडर पंक्ति के दो अधिकारी या संबंधित कमांड मुख्यालय के समतुल्य पंक्ति के सिविलियन अधिकारी, एक विभागीय और दूसरा विभाग से संबंधित न हो -सदस्य	लागू नहीं होता। .

			अर्हक या पात्रता सेवा पहले पूरी कर ली है, अगली उन्नतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। **टिप्पण 2:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गयी सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफरशों पर आधारित विस्तारित तस्थ्यानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जायगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. ग्रूम	17* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह ग अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, रु. 5200-20200 + ग्रेड वेतन रु. 1800.	लागू नहीं होता।	आयु 18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक शिथिल जा सकती है।) **टिप्पण:-** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमन और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	(क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण। (ख) ग्रूम के कार्यों से अवगत हो।

4

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	आमेलन :- रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में समरूप या समतुल्य या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत ऐसे व्यक्ति जिन्होंने वेतन बैंड-1, रु. 5200-20200 + ग्रेड वेतन रु. 1800 में कम से कम तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास स्तंभ (7) में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हता है ।	समूह 'ग विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. कमांडर पंक्ति का अधिकारी या संबंधित कमांड मुख्यालय के समतुल्य पंक्ति के सिविलियन अधिकारी - अध्यक्ष 2. लेफ्टीनेंट कमांडर पंक्ति के दो अधिकारी या संबंधित कमांड मुख्यालय के समतुल्य पंक्ति के सिविलियन अधिकारी, एक विभागीय और दूसरा विभाग से संबंधित न हो -सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. सैडलर	2* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1, रु. 5200-20200 + ग्रेड वेतन रु. 1800.	लागू नहीं होता। .	आयु 18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:-** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	(क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण। (ख) मोची या बढ़ई की हैसियत से उस व्यवसाय में प्रवीणता।

5

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**आमेलन** :- रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में समरूप या समतुल्य या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत ऐसे व्यक्ति जिन्होंने वेतन बैंड-1, रु. 5200-20200 + ग्रेड वेतन रु. 1800 में कम से कम तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास स्तंभ (7) में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हता है।	समूह 'ग विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. कमांडर पंक्ति का अधिकारी या संबंधित कमांड मुख्यालय का समतुल्य पंक्ति का सिविलियन अधिकारी -अध्यक्ष 2. लेफ्टीनेंट कमांडर पंक्ति के दो अधिकारी या संबंधित कमांड मुख्यालय के समतुल्य पंक्ति के सिविलियन अधिकारी, एक विभागीय और दूसरा विभाग से संबंधित न हो -सदस्य	लागू नहीं होता। .

[फा. सं. सी पी(एनजी)/2829/अस्तबल/327/डी(एपीपीटीटी/आरआर)/2015]

दलपत सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 9th September, 2015

S.R.O. 35.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' (Non-Industrial) posts in Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy) namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy) Group 'C' (Stable Staff) Posts Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**— These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.**— The number of the posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.**— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.**— No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

6

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection or non-selection.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Mate Groom.	07* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Industrial, Non-Ministerial.	Pay Band-1, Rs. 5200-20200 plus Grade Pay Rs.1900	Non-Selection.	Between 18 and 27 years of age (relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age limit will in each case be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	**Essential:** 10th pass from a recognised Board. **Desirable:** One year experience as Groom or Mate Groom.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or deputation or by absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or absorption, grades from which promotion/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.

7

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
No.	Two years for direct recruits.	By promotion failing which by direct recruitment.	Promotion: Groom with three years regular service in the grade. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion or confirmation) consisting of: - 1. Officer of the rank of Commander or Civilian Officer of equivalent rank of respective Command Headquarters - Chairman 2. Two Officers of the rank of Lieutenant Commander or Civilian Officers of equivalent rank of respective Command Headquarters, one departmental and one unconnected with the department - Members.	Not applicable.

8

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Groom.	17* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Industrial, Non-Ministerial	Pay Band-1, Rs. 5200-20200 Grade Pay of Rs.1800	Not applicable	Between 18 and 25 years of age (relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age limit will in each case be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	**Essential:** (a) 10th pass from a recognised Board. (b) Conversant with the duties of Groom.

(8)	(9)	(10)	(11)
No	Two years for direct recruits.	By absorption failing which by direct recruitment.	Absorption: Persons serving in similar or equivalent or higher grades in the lower formations of the Defence Services with at least three years regular service in Pay Band-1, Rs.5200-20200 plus Grade Pay of Rs.1800 and possessing the qualification prescribed for direct recruits in column 7.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Officer of the rank of Commander or Civilian Officer of equivalent rank of respective Command Headquarters - Chairman 2. Two Officers of the rank of Lieutenant Commander or Civilian Officers of equivalent rank of respective Command Headquarters, one departmental and one unconnected with the department - Members.	Not applicable.

9

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Saddler	02* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Industrial, Non-Ministerial	Pay Band-1, Rs.5200-20200 plus Grade Pay Rs.1800	Not applicable	Between 18 and 25 years opf age. (relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age limit will in each case be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	**Essential:** (a) 10th pass from a recognised Board. (b) Proficiency in the trade as cobbler or carpenter.

(8)	(9)	(10)	(11)
No	Two years for direct recruits.	By absorption failing which by direct recruitment.	Absorption: Persons serving in similar or equivalent or higher grades in the lower formations of the Defence Services with at least three years regular service in Pay Band-1, Rs.5200-20200 plus Grade Pay of Rs.1800 and possessing the qualification prescribed for direct recruits in column (7).

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Officer of the rank of Commander or Civilian Officer of equivalent rank of respective Command Headquarters - Chairman 2. Two Officers of the rank of Lieutenant Commander or Civilian Officers of equivalent rank of respective Command Headquarters, one departmental and one unconnected with the department - Members.	Not applicable.

[F. No. CP(NG)/2829/STABLE/327/D(Apptt)/RR/2015]

DALPAT SINGH, Under Secy.